



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102020-222545
CG-DL-E-19102020-222545

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3245]
No. 3245]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 19, 2020/आश्विन 27, 1942
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2020/ASVINA 27, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2020

[आयकर]

का.आ. 3660 (अ) .— केंद्रीय सरकार, आयकर नियम, 1962 के नियम 10गक के उपनियम (1) के परंतु के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 92ग की उपधारा (2) के तीसरे परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 92ग के अधीन निश्चित आर्म्स लेन्थ मूल्य और वह मूल्य जिस पर अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन या विनिर्दिष्ट घरेलू लेन-देन वास्तविक रूप से हुआ है, के बीच अंतर थोक व्यापार के लिए परवर्ती के एक प्रतिशत अन्य सभी मामलों में तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होता है उस स्थिति में वह मूल्य जिस पर अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन या विनिर्दिष्ट घरेलू लेन-देन वास्तविक रूप से हुआ है, को कर निर्धारण वर्ष 2020-2021 के लिए आर्म्स लेन्थ मूल्य समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए 'थोक व्यापार' का अर्थ माल के उस अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन या विनिर्दिष्ट घरेलू लेन-देन से है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :-

- तैयार माल खरीद की लागत ऐसे व्यापार की गतिविधियों से संबंधित मूल लागत का अस्सी प्रतिशत या उससे अधिक हो; और

- (ii) ऐसे माल की औसत मासिक अंतिम माल सूची ऐसी व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित बिक्री का दस प्रतिशत या उससे कम हो।

[अधिसूचना सं. 83/2020/फा. सं. 500/1/2014-एपीए-II]

रुचिका शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2020

[INCOME-TAX]

S.O. 3660 (E) .—In exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (2) of section 92C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)(hereinafter referred to as the 'said Act'), read with proviso to sub-rule (7) of rule 10CA of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby notifies that where the variation between the arm's length price determined under section 92C of the said Act and the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken does not exceed one per cent. of the latter in respect of wholesale trading and three per cent. of the latter in all other cases, the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken shall be deemed to be the arm's length price for assessment year 2020-2021.

Explanation.- For the purposes of this notification, "wholesale trading" means an international transaction or specified domestic transaction of trading in goods, which fulfils the following conditions, namely:-

- (i) purchase cost of finished goods is eighty per cent. or more of the total cost pertaining to such trading activities; and
- (ii) average monthly closing inventory of such goods is ten per cent. or less of sales pertaining to such trading activities.

[Notification No. 83/2020/F. No. 500/1/2014-APA-II]

RUCHIKA SHARMA, Under Secy.